हाईकोर्ट का आदेश | कठिनाई न हो इसके लिए राज्य सरकार अविलंब ठोस कार्रवाई करे

जल्द दें दिव्यांगों को प्रमाण पत्र

लीगल रिपोर्टर | पटना

सूबे में दिव्यांगों को प्रमाणपत्र मिलने में हो रही कठिनाई के मद्देनजर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अविलंब इस मामले में ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने दीपक कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रावधानों के तहत दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किए जाने के एक माह के भीतर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाना चाहिए परंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। आवेदन करने एवं उचित जांच पड़ताल होने के बावजूद दस माह बाद भी दिव्यांगो को अभी तक दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है. जिस कारण राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से सूबे के दिव्यांगों को वंचित होना पड़ रहा है।